अधिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए नई शिक्षक स्थानान्तरण नीति

आर. पार्थसारथि



शिक्षण बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण पेशा है जिसके साथ एक महान सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी जुड़ी हुई है। इसलिए अगर शिक्षकों को अपने पेशे के साथ न्याय करना है तो यह जरूरी है कि वे अपने विद्यालय, बच्चों और समुदाय पर ध्यान केन्द्रित करें और उनका मन इधर-उधर न भटके। शिक्षक स्थानान्तरण के कारण शिक्षकों को बहुत तनाव का सामना करना पड़ता था और अपने कार्य से उनका ध्यान बँट जाया करता है। नौकरी के स्थान को लेकर शिक्षकों के मन में कुछ प्राथमिकताएँ होती हैं जिन्हें विद्यालय की जरूरतों के साथ सन्तुलित किया जाना चाहिए। लेकिन इन मामलों की सही जानकारी शिक्षकों को नहीं होती और इनके बारे में पता करने के लिए उन्हें यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता है। अतः जो लोग इन बातों की जानकारी रखते हैं उन्हें अनुचित शक्ति मिल जाती है और वे इसका फायदा भी उठाते हैं; परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के अधिगम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केन्द्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानान्तरण के लिए एक नई नीति प्रस्तुत की है ताकि शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और साम्यता लाई जा सके। इस लेख में पिछली प्रणाली के मुद्दों, नई नीति में प्रस्तावित स्थानान्तरण के मानदण्ड व प्रक्रियाओं और पहले चक्र में लोगों तक इसे पहुँचाने (रोल आउट) के हमारे अनुभव पर एक नजर डाली गई है।

1. पृष्ठभूमि

पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश (यू.टी.) है जो भौगोलिक रूप से अलग-अलग फैले हुए चार जिलों से मिलकर बना है। ये जिले हैं-पुदुचेरी, कैरैकल (तमिलनाडु में स्थित), यानम (आन्ध्रप्रदेश में स्थित) और माहे (केरल में स्थित)। केन्द्रशासित प्रदेश में 419 विद्यालय हैं, जिनमें से 277 विद्यालय पुदुचेरी जिले में हैं। 2.5 लाख विद्यार्थियों की आबादी में से 32% सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षकों के 3 ग्रेड हैं :

- प्राथमिक स्कूल शिक्षक या प्राइमरी स्कूल टीचर्स (पी.एस.टी.) जो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हैं। उन्हें 12वीं कक्षा पास और शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। उन्हें शिक्षक योग्यता परीक्षा (टी.ई.टी) में भी उत्तीर्ण होना चाहिए।
- प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (टी.जी.टी.) जो माध्यमिक और उच्च विद्यालय के स्तर पर शिक्षण करते हैं। स्नातक की डिग्री और बी.एड. इसके लिए अपेक्षित योग्यताएँ हैं। 40% पद पी.एस.टी. से टी.जी.टी. के रूप में पदोन्नत होने के माध्यम से भरे जाते हैं।
- उच्च माध्यमिक ग्रेड के लिए व्याख्याताओं के लिए स्नातकोत्तर डिग्री और बी.एड. अपेक्षित योग्यताएँ हैं। 80% पद टी.जी.टी. से व्याख्याता के रूप में पदोन्नत होने के माध्यम से भरे जाते हैं।

2. शिक्षकों की तैनाती सम्बन्धी कुछ मुद्दे जो हाल में सामने आए हैं

- **विद्यार्थी नामांकन और शिक्षक तैनाती के बीच बेमेलपन :** समय बीतने के साथ-साथ विद्यार्थी निजी विद्यालयों में जाने लगते हैं, इस कारण सरकारी विद्यालयों के नामांकन में गिरावट आई है। शहरी इलाकों में यह गिरावट अधिक है। किन्तु शहरी विद्यालयों में पदों की संख्या तदनुसार युक्तिसंगत रूप से व्यवस्थित नहीं की गई। इस वजह से ग्रामीण इलाकों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात पर असन्तोषजनक प्रभाव पड़ा जबकि अन्य स्थानों में अतिरिक्त शिक्षक थे। कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड पुराने होते थे और उनमें शिक्षकों के रिक्त पद सही तरह से नहीं दर्शाए जाते थे। उदाहरण के लिए सेवा निवृत्त/दिवंगत शिक्षकों के नाम उनमें पहले की तरह ही दर्ज रहते।
- **मौखिक आदेश तैनाती के कारण ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी :** शहरी क्षेत्रों और अपने निवास के करीब क्षेत्रों में तैनाती की माँग अधिक होती है, अतः अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से 'मौखिक आदेश तैनाती' के लिए कई अनुरोध किए जाते हैं - जहाँ शिक्षक को आधिकारिक तौर पर किसी विद्यालय में तैनात किया जाता है, लेकिन वास्तव में वे मौखिक आदेश पर किसी अन्य विद्यालय में कार्य कर रहे होते हैं; इस प्रकार शिक्षक तैनाती की एक समान्तर प्रणाली बन जाती है।
- **शिक्षकों के अभिप्रेरण पर प्रभाव :** शिक्षकों के इस प्रकार के असन्तुलित वितरण और अनौपचारिक व्यवस्था के

कारण कई ग्रामीण विद्यालयों में एक शिक्षक को एक ही समय पर 2-3 कक्षाओं का ध्यान रखना पड़ता था। इतना ही नहीं कुछ ऐसे शिक्षक तब बहुत निरुत्साहित हो जाते थे जब उन्हें तो दूरस्थ इलाकों के विद्यालयों में काम करने के लिए जाना पड़ता था लेकिन उनके कुछ साथी प्रणाली के इन नियमों को अनदेखा करने में कामयाब हो जाते थे।

- **लम्बी छुट्टी :** शिक्षकों को एक साल में आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी, दस दिनों की अर्जित छुट्टी और 120 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। इसके अतिरिक्त वे अपने सेवाकाल में दो साल की शिशु देखभाल छुट्टी भी ले सकते हैं। हालाँकि ये छुट्टियाँ शिक्षक और उनके परिवार के कल्याण के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन जब वे लम्बी छुट्टी ले लेते हैं तो इसका प्रभाव विद्यार्थियों के अधिगम पर पड़ता है क्योंकि वैकल्पिक शिक्षक का कोई व्यवस्थित प्रावधान नहीं है।

3. वर्ष 2015-16 में अपनाई गई शिक्षक स्थानान्तरण की बेहतर प्रक्रिया

- **पदों का युक्ति संगतिकरण :** स्थानान्तरण नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, अध्यापक के पदों का युक्ति संगतिकरण किया गया जो विद्यार्थियों के नवीनतम नामांकन आँकड़ों पर आधारित था। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक किन्तु अपर्याप्त शिक्षक थे, वहाँ अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। इसी तरह जहाँ नामांकन कम हो गया था वहाँ पदों की स्वीकृति कम कर दी गई।
- **रिकॉर्डों का परिशोधन :** शिक्षकों के आँकड़े संचय (डेटाबेस) को परिशोधित किया गया। सेवानिवृत्त/दिवंगत शिक्षकों के नाम हटा दिए गए ताकि रिक्त पदों और उपलब्ध शिक्षकों की सही संख्या का पता लग सके।
- **'शून्य' आधार से शुरू होने वाले पारदर्शी ऑनलाइन काउंसलिंग :** शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए अक्तूबर 2015 से एक पारदर्शी काउंसलिंग पर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया काम में लाई गई। इसमें सभी विद्यालयों को 'शून्य' तैनाती वाली स्थिति पर लाकर एक नए सिरे से तैनाती शुरू की गई ताकि सभी शिक्षकों को अपनी पसन्द का स्थान पाने के उचित अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। इसमें शिक्षकों को अपनी वरिष्ठता के क्रम में अपनी पसन्द के विद्यालय का चयन करने के लिए आमंत्रित किया गया। हर दिन के अन्त में 'उपलब्धता' की एक नई सूची बनाई गई जिसे ऑनलाइन अपडेट किया गया। इससे शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आने से पहले अपने पसन्दीदा विद्यालयों की जानकारी पाने में सहूलियत हुई।
- **नई नियुक्तियाँ और बफर शिक्षक :** संशोधित स्थानान्तरण प्रक्रिया के अलावा 429 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई ताकि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक उपलब्ध हो सके। जहाँ कहीं भी शिक्षकों के मातृत्व अवकाश या शिशु देखभाल अवकाश लेने के कारण पद रिक्त होते थे, वहाँ पर शिक्षकों की तैनाती की गई।

विद्यालयों में नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता की भावना का संचार करने के कारण विभाग को शिक्षकों और शिक्षक संघों व संस्थानों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि राजनीतिक नेताओं ने तैनाती की प्रक्रिया पर दबाव डालने के लिए लगभग कोई अनुरोध नहीं किया।

4. भविष्य में इस नीति में लागू किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त सुधार

शिक्षक स्थानान्तरण की नई नीति के लिए कुछ अतिरिक्त सुधार पारित किए जा चुके हैं जिन्हें भविष्य में लागू किया जाएगा।

- **संघ शासित प्रदेश का शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजन :** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के वितरण को उचित रूप से सन्तुलित करने के लिए चारों जिले के विद्यालयों को अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा गया है। उदाहरण के लिए पुदुचेरी जिले के विद्यालय चार क्षेत्रों में बाँटे गए :
  - ◆ क्षेत्र A - नगर
  - ◆ क्षेत्र B - नगर का बाहरी इलाका
  - ◆ क्षेत्र C - ग्रामीण क्षेत्र
  - ◆ क्षेत्र D - दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र

शिक्षकों को अपने सेवाकाल की कम से कम एक तिहाई अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा। पुदुचेरी जिले में जिन शिक्षकों

की नई भर्ती हुई है उन्हें पहले क्षेत्र D में तैनात किया जाएगा। वहाँ चार साल पूरा करने के बाद उन्हें क्षेत्र C में स्थानान्तरित किया जाएगा और यह क्रम ऐसे ही चलेगा। क्षेत्र A में चार साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें क्षेत्र D में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा और यह सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह पदोन्नति होने पर शिक्षकों को पहले क्षेत्र D में तैनात किया जाएगा और चार की सेवा के बाद क्षेत्र C में स्थानान्तरित किया जाएगा यह क्रम ऐसे ही चलेगा।

इन शिक्षकों के लिए अपवाद का प्रावधान है- जिनका सेवाकाल पूर्ण होने में तीन वर्ष या उससे कम समय बाकी है, भिन्न क्षमता वाले शिक्षक, गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ स्थानान्तरण योग्य स्थानों में रिक्ति नहीं है।

- स्थानान्तरण चक्र का नियमितीकरण, आपसी स्थानान्तरण की सीमाएँ और कार्यालय आदेश : सभी स्थानान्तरण मई के महीने में किए जाएँगे जिससे कि विद्यालय के कार्य में व्यवधान न पड़े। मौखिक आदेश पर कोई स्थानान्तरण नहीं होगा। परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) में नए भर्ती शिक्षकों को और अन्य शिक्षकों को अपनी सेवा के पहले वर्ष में आपसी स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुदुचेरी जिले में केवल क्षेत्र C और D में आपसी स्थानान्तरण की अनुमति दी जाएगी। कोई शिक्षक अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो बार आपसी स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकता है।

- स्थानान्तरण के लिए योग्यता मानदण्ड : शिक्षकों को उनके 'पात्रता अंक' के क्रमानुसार काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये अंक उनके अकादमिक प्रदर्शन, पाठ्य-सहगामी क्रिया सेवा और कार्यकाल पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में मानदण्ड के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

कार्य-निष्पादन कसौटी

- कक्षा X और XII में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, VI-IX की परीक्षा में कक्षा के औसत अंक
- ड्रॉप-आउट विद्यार्थियों का नामांकन (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के मामले में)
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, नवोदय प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन (प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के मामले में)

पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ

- राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, केन्द्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय ग्रीन कोर जैसी पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियों और सेमिनारों में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना
- शोध पत्रों की प्रस्तुति

कार्यकाल

- सेवा के हर साल के लिए अंक
- अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अंक
- विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, तकनीकी और विशेष शिक्षकों के लिए इसी तरह के मानदण्ड तैयार किए गए हैं।

5. जिन कमियों पर अभी भी ध्यान दिया जाना है

- कार्य निष्पादन के उपाय : पात्रता अंक एक प्रारम्भिक कदम है। शिक्षक के कार्य निष्पादन का और अधिक व्यापक रूप से हिसाब रखने के लिए प्रणाली को परिष्कृत करना होगा। विभिन्न विद्यालय विभिन्न स्तर की जिन सामाजिक क्षतियों का सामना कर रहे हैं, उनका हिसाब रखने के लिए निरपेक्ष उपायों की बजाय सापेक्ष उपाय तैयार करने चाहिए।

- माध्यमिक और उच्च विद्यालय के शिक्षकों (टी.जी.टी) का विषय ज्ञान : कार्यकाल के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नत कर देना उचित नहीं है। हो सकता है कि उनका ज्ञान माध्यमिक और उच्च विद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पर्याप्त न हो। माध्यमिक/उच्च विद्यालय की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण होना चाहिए।

- प्राथमिक शिक्षकों के लिए वैकल्पिक विकास का विकल्प : प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल पी.एस.टी. से टी.जी.टी. बनना ही विकास का एकमात्र विकल्प नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक विकास के अन्य रास्ते भी उनके सामने होने चाहिए जैसे- विद्यालय नेतृत्वकर्ता/हाई स्कूल शिक्षक की वर्तमान भूमिका के साथ मास्टर टीचर्स, संकुल/खण्ड संसाधक आदि। इससे शिक्षक उन भूमिकाओं को निभा सकेंगे जहाँ उनकी योग्यताओं का बेहतर उपयोग हो सके।

शिक्षक के सामने यह विकल्प भी होना चाहिए कि वह प्राथमिक शिक्षक ही बना रहे बजाय इसके कि किसी ऐसे पद पर जाए जिसके लिए शायद वह उपयुक्त न हो। किसी भूमिका के निर्वाह के साथ समझौता किए बिना उनकी सेवा के वर्षों के साथ उनका वेतन बढ़ाया जा सकता है।

- हाई स्कूल में तैनाती से बचना : इस प्रक्रिया के दौरान कई वरिष्ठ शिक्षकों ने हाई स्कूल में तैनाती से बचने के लिए माध्यमिक विद्यालय में ही बने रहने का विकल्प चुना क्योंकि वे सार्वजनिक परीक्षाओं के दबाव से बचना चाहते थे। चूँकि माध्यमिक विद्यालय तक फेल न करने की नीति है, अतः शिक्षक जवाबदेह नहीं हैं। इससे विद्यार्थियों की हानि होती है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कार्य निष्पादन के उपायों में और कसाव लाना होगा और उच्च विद्यालयों में न्यूनतम सेवा की अवधि निर्धारित करनी होगी।

नई शिक्षक स्थानान्तरण नीति में प्रक्रिया सम्बन्धी पारदर्शिता अधिक है। उपरिलिखित कुछ उपायों से हम सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकेंगे।

शिक्षक स्थानान्तरण नीति का पूरा विवरण पाने के लिए पुदुचेरी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाएँ। दस्तावेज का लिंक है http://schooledn.puducherry.gov.in/HTML/CircuTenders/ circular2015/TeachTransferPolicy.pdf

आर. पार्थसारथि शिक्षा विभाग, पुदुचेरी सरकार के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक हैं। उन्होंने प्राणिविज्ञान और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। सम्प्रति वे शिक्षा में 'सक्रिय अधिगम' पर शोध कर रहे हैं। उन्हें 20 साल के शिक्षण और 14 साल का प्रशासनिक अनुभव है। वे छह साल से अधिक समय तक पुदुचेरी में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के पद पर रहे हैं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कम्प्यूटर और अनुप्रयोगों का इस्तेमाल करने में उन्हें प्रवीणता हासिल है। पुदुचेरी में काउंसलिंग पर आधारित शिक्षक स्थानान्तरण प्रक्रिया लागू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनसे parthamanasa@yahoo.co.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल